

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-14

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष- 0612-2215035

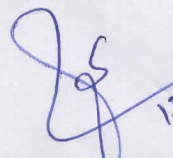
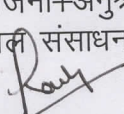
संचिका सं०:-ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)- डिवार/कालीकृत-06/2023- 19 /पटना, दिनांक:-13/04/2023

आदेश

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के पत्रांक-19 दिनांक-04.01.2023, पत्रांक-415 दिनांक-20.02.2023 अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के पत्रांक-80 दिनांक-11.01.2023, पत्रांक-505 दिनांक-03.03.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-217 दिनांक-20.01.2023, पत्रांक-846 दिनांक-16.03.2023 द्वारा संवेदक श्री विजय कुमार सिंह, मे० विजय सिंह, कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्राम-लोकन टोला, पो०-जितौरा, थाना-पिरो, जिला-आरा, पिन कोड-802159 निबंधन सं०-MWRD1219C3PR0923 श्रेणी-03 (तृतीय) को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-14/2021-22 के ग्रुप सं०-04 (मनोहरपुर कछुआरा पईन योजना का जिर्णोद्धार कार्य) का एकरारनामा नहीं करने के कारण इन्हें कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-51 दिनांक-07.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के क्रम में संवेदक का स्पष्टीकरण दिनांक-06.03.2023 जो इस कार्यालय को प्राप्त है। संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना का पत्रांक-1763 दिनांक-14.07.2022 द्वारा उन्हें कार्य आवंटित किया गया था, परन्तु चिकित्सीय परामर्श के आलोक में उनके द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया। संवेदक का उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योंकि यदि उनके द्वारा चिकित्सीय परामर्श के आलोक में एकरारनामा नहीं करना था तो इसकी सूचना ससमय कार्यपालक अभियंता को देते हुये संदर्भित निविदा का त्याग कर देना चाहिये था, जिससे विभाग द्वारा संबंधित योजना हेतु ससमय समुचित निर्णय ले लिया जाता एवं सरकारी योजना का लाभ कृषको/क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों को प्राप्त हो जाता।

अतः उक्त के आलोक में विषय की महत्ता के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में संवेदक श्री विजय कुमार सिंह, मे० विजय सिंह, कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्राम-लोकन टोला, पो०-जितौरा, थाना-पिरो, जिला-आरा, पिन कोड-802159 निबंधन सं०-MWRD1219C3PR0923 श्रेणी-03 (तृतीय) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के नियम -11 (क) (ii) में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।


प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।



पत्रांक:- 303

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- संवेदक श्री विजय कुमार सिंह, मे0 विजय सिंह, कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर,
ग्राम-लोकन टोला, पो0-जितौरा, थाना-पिरो, जिला-आरा, पिन कोड-802159 निबंधन सं0-MWRD1219C
3PR0923 श्रेणी-03 (तृतीय) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक:- 303

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल
संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण भवन/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक
अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को
सूचनार्थ समर्पित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक:- 303

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।